

ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: <https://aifap.org.in>

Email: contact@aifap.org.in

WhatsApp Number:

+918454018757

25 सितंबर 2021

प्रति,

सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में ट्रेड यूनियनों
और एसिओसेशनों का संयुक्त मंच

ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (एआईएफएपी) के घटक सार्वजनिक क्षेत्र के जीआईसी के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन (जीआईबीएनए) अधिनियम, 2021 के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) के ट्रेड यूनियनों और एसिओसेशनों के संघर्ष के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं।

1973 में सामान्य बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लगभग 107 कंपनियों को 4 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में मिला दिया गया था।

जैसा कि कहा गया था, 1973 में निजी सामान्य बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख उद्देश्य थे दावों का समय पर निपटान और देश के हर नुक्कड़ पर बीमा का प्रसार। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) ने 1971 में लगभग 750 शाखाओं की संख्या को लगभग 4000 शाखाओं तक बढ़ाकर लोगों की मदद करने के लिए पूरे भारत में अपना अभियान फैलाया। उन्होंने कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती बीमा में विभिन्न पोलिसियाँ, जीवन बीमा क्षेत्र को छोड़कर, सभी में प्रीमियम की न्यूनतम दर पेश की हैं। अधिकांश सामाजिक रूप से आवश्यक बीमा केवल पीएसजीआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं क्योंकि वे निजी क्षेत्र के लिए लाभदायक नहीं हैं।

पीएसजीआईसी द्वारा निभाई गई भूमिका के बावजूद, 1991 के बाद से हर केंद्र सरकार, चाहे वह कांग्रेस या भाजपा या पार्टियों के गठबंधन के नेतृत्व में हो, सामान्य बीमा क्षेत्र के निजीकरण पर जोर दे रही है। सामान्य बीमा क्षेत्र में 49% तक FDI की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन का आंशिक निजीकरण उनके शेयरों के विनिवेश के माध्यम से किया गया है। अब सरकार ने एक पीएसजीआईसी का पूरी तरह से निजीकरण करने की योजना की घोषणा की है और इसे सक्षम करने के लिए उसने सामान्य बीमा

व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन किया है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम में सरकार को पीएसजीआईसी के न्यूनतम 51% शेयर रखने का प्रावधान था।

बीमा क्षेत्र के निजीकरण को केवल उन भारतीय और विदेशी इजारेदारों को लाभान्वित करने के लिए धकेला जा रहा है जो पीएसजीआईसी के बड़े फंड और नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं।

एआईएफएपी पीएसजीआईसी के ट्रेड यूनियनों और एसिओसेशनों के इस सोच का पूरी तरह से समर्थन करता है कि सामान्य बीमा क्षेत्र के निजीकरण से न केवल पीएसजीआईसी के श्रमिकों के हितों को नुकसान होगा बल्कि देश के उन करोड़ों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनकी बीमा जरूरतें आज पूरी हो रही हैं।

पीएसजीआईसी के निजीकरण के खिलाफ आप जिस न्यायसंगत संघर्ष को चला रहे हैं, उसमें एआईएफएपी के घटक आपके साथ हैं। आपका संघर्ष देश की जनता और पूरे मजदूर वर्ग के हित में है।

आपके साथ एकजुटता में,

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम

घटक (अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में):

1. एयर इंडिया सर्विस इंजिनियर्स एसिओसेशन (AISEA),
2. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (AICWF),
3. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लोयीज फेडरेशन (AIDEF),
4. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लोयीज (AIFEE),
5. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (AIFOPDE),
6. ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (AIGC),
7. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA),
8. ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (AIPMA),
9. ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (AIPDWF),
10. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF),
11. ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लोयीज कॉन्फेडरेशन (AIREC) - पश्चिमी क्षेत्र,
12. ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF),
13. ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (AIRTU),
14. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA),
15. ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (AITCA),
16. भारत पेट्रोलियम टेक्नीकल और नौन- टेक्नीकल एम्प्लोयीज एसोसिएशन (BPTNTEA) - मुंबई रिफाइनरी,
17. चित्तरंजन लोको वर्कर्स (CLW) रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
18. चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (CRMC), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,

19. कोचीन रिफाइनरी एम्प्लोयीज एसोसिएशन (CREA-INTUC),
20. कन्टेनर कॉर्पोरेशन (CONCOR) एम्प्लोयीज यूनियन,
21. डीएमडब्ल्यू रेलवे वर्कर्स यूनियन (DMWRWU), पटियाला, पंजाब,
22. दक्षिण रेलवे एम्प्लोयीज यूनियन (DREU),
23. डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्कर्स (DMW) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब,
24. डीजल लोको वर्कर्स (DLW) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
25. इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI)
26. हिंदुस्तान पेट्रोलियम एम्प्लोयीज यूनियन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी,
27. हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (HKMF),
28. इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,
29. इंडियन नेशनल इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन (INWEF),
30. इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (IRLRO),
31. इंडियन रेलवे टिकटचेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (IRTCISO),
32. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ (ICFMS), चेन्नई, तमिलनाडु,
33. जॉइंट ऐक्शन फ्रंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियन्स ऑफ बेंगलोर,
34. कामगार एकता कमिटी (KEC),
35. लोक राज संगठन (LRS),
36. महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (MSBEF),
37. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
38. मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्कर्स (MCDLW) वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
39. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR),
40. नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्प्लोयीज (NFTE)-BSNL,
41. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS),
42. नीलाचल एक्जिक्यूटिव्स एसोसिएशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL),
43. पुरोगामी महिला संगठन (PMS),
44. रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (RCFMC), रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
45. रेल कोच फैक्ट्री मजदूर यूनियन (RCFMU), कपूरथला, पंजाब,
46. रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब,
47. रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
48. रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (RWFKS), बेंगलोर, कर्नाटक,
49. रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) मजदूर यूनियन, बेंगलोर, कर्नाटक,
50. रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) कर्मचारी संघ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
51. संचार निगम एक्जिक्यूटिव्स एसोसिएशन (SNEA)-BSNL,
52. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ऑफिसर्स एसोसिएशन,
53. सूरत ट्रेड यूनियन कौंसिल (STUC).